न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 151/2006
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

अनवान

देवनारायण मूर्ति स्थान (देव स्थान) ''नया देवरा'' ग्राम माकड़िया जरिये वाद मित्र

1. ज्वारू आत्मज प्रताप गाडरी
2. भैरू आत्मज नारायण गाडरी
3. मोहन लाल आत्मज लालु गाडरी
4. देवीलाल आत्मज नानु गाडरी
5. रामा आत्मज दूदा गाडरी

सर्व निवासी माकड़िया, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. एकलिंग आत्मज मोती गाडरी निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापुर, जिला–भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगणः– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01– श्री मनोहर लाल बापना
प्रतिवादी सं0 02– पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 20.12.2019**

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कि ग्राम माकड़िया तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 436/1 रकबा 4 बीघा स्थित है। इस आराजियात के 5 बिस्वा भू–भाग में वादी देवनारायण मूर्ति का कब्जा करीब 100 से अधिक वर्षो से चला आ रहा है। ओर इस पांच बिस्वा भुखण्ड में एक पक्का चबूतरा बना हुआ है जिस पर देवनारायण की मूर्तियां स्थापित है। इसक नया देवरा स्थान के नाम से भी जाना जाता है। देवनारायण पौराणिक होकर जनता की आस्था का केन्द्र है।

यह कि उक्त पांच बिस्वा भुखण्ड में कुछ स्थान पर चबुतरा निर्मित है तथा शेष स्थान दर्शनार्थीयों एवं श्रृद्धालुओ के बैठने, ठहरने के काम आता है। रात्री जागरण एवं पूजा, आरती के समय इस भूखण्ड का उपयोग इस रूप में सैकड़ों वर्षो से किया जा रहा है। तथा वर्तमान में भी वादी इस पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

यह कि पूर्व में यह आराजी, आराजी संख्या 436 का ही भाग थी और बिलानाम सरकार थी, जिसमें से चार बीघा प्रतिवादी संख्या एक को आंवटित हुई और उसके नम्बर 436/1 पड़े। उस समय भी उक्त देवस्थान वहीं सीमित थी। गलती वश देवस्थान के कब्जे वाली पांच बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या एक को आवंटित कर दी गई जबकि साबिक नक्शे में देव स्थान के चबूतरे का चिन्ह भी अंकित है।

Scanned by CamScanner

यह कि ग्राम माकड़िया का नवीन बन्दोबस्त हुआ, उसमें आराजी संख्या 436/1 रकबा 4 बीघा के नये नम्बर 720, 723, 724, 726, 727 अंकित हुए है। जिसमें आराजी नं0 720 में जंहा यह चबुतरा एवं भुखण्ड स्थित है के नवीन नक्शे से इन्द्राज हटा दिया है लेकिन नया देवरा का कुंआ प्रतिवादी सं0 एक के कुंए का नाम रखा गया है और यह नाम राजस्व रेकार्ड में भी अंकित है लेकिन मूर्ति स्थान चबूतरे के निशान हो राजस्व रेकार्ड से हटा दिया गया है जिसे दुरूस्त करवाया जाना अनिवार्य हो गया है।

यह कि साबिक आराजी संख्या 436/1 जिसके नवीन नम्बरों में से आराजी संख्या 720 रकबा 0.33 में से 0.05 हे0 भू-भाग पर वादी का सौ वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने की वजह से कब्जा मुखपालन के आधार पर भी वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है।

यह कि आराजी संख्या 720 रकबा 0.33 हे0 भूमि जिसमेकि वादी देवस्थान का चबूतरा एवं उक्त पांच बिस्वा भूमि स्थित है। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या एक के नाम दर्ज है तथा नवीन नक्शे में वादी देवस्थान का चबूतरे चिन्ह अंकित नहीं है जिससे प्रतिवादी संख्या एक भी वादी को उक्त भू - भाग से बेदखल कर सकता है तथा पूजा , आरती संबंधी कार्यो से व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। जिससे प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण ने वाद पत्रमें प्रार्थना की है कि ग्राम माकड़िया के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 720 के उक्त पांच बिस्वा भू-भाग जिसमें कि वादी देवमूर्ति का चबूतरा व उसके आस पास का भू - भाग शामिल है का कब्जा वादी देवमूर्ति का चबूतरा व उसके आस पास का भू - भाग शामिल है का कब्जा मुखालपाना के आधार पर वादी देवमूर्ति को खातेदार काश्तकार घोषित कराने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 एक सादिर फरमायी जावें।

एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध वादी प्रतिवादी संख्या एक इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम माकड़िया के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्याय 720 जिसमें कि वादी देवमूर्ति का चबूतरा व उसके आस पास का पांच बिस्वा भू-भाग शामिल है से प्रतिवादीगण संख्या एक वादी को बेदखल नहीं करें न अन्य से करावें तथा वादी देवमूर्ति की पूजा, अर्चना, रात्री जागरण आदी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा न अन्य से करावें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.10.2006 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वादपत्र कतई पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज किया जावे व वादीगण का कोस सुट स्वीकार कर डिक्री फरमायी जावे। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जवाब पेश कर बिन्दुवार जवाब देकर निवेदन किया कि वादी की प्रार्थना माननीय न्यायालय से सबंधित है। चबुतरा के बारे में राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाद पत्र में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी ग्राम माकड़िया की साबिक आराजी संख्या 436/1 रकबा 4 बीघा व नवीन आराजी संख्या 720, 724, 726, 727 जिसमे से आराजी संख्या 720 में मूर्ति स्थान व चबूतरे के निशान जिनको हटा दिये है उनको इन्द्राज दुरूस्ती कर पुनः अंकित करवाने के अधिकारी है। बजरिये वादी
2. आया वादी नवीन आराजी संख्या 720 रकबा 0.33 हे0 में से 0.05 हे0 भु–भाग का खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है व उक्त आराजी पर 0.05 हे0 पर वादी का ही भौतिक रूप से कब्जा होकर कब्जे मुखालपाने के आधार पर भी खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। बजरिये वादी
3. आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। बजरिये वादी
4. आया वादी उक्त भूमि का काश्तकार घोषित होने का अधिकारी नहीं है व नही किसी प्रकार की इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। बजरिये प्रतिवादी
5. आया वादी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। बजरिये प्रतिवादी
6. दादरसी.. ?

वादी की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 व P.W-2 प्रस्तुत किये गये हैं। ग्राम माकड़िया की जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 पेश की है जो प्रदर्श 1 है। जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 पेश की है जो प्रदर्श 2 है। देवजी के खाते की जमीन मेरे खाते से अलग है जिसकी जमाबंदी पेश की है जो प्रदर्श 3 है। वादी ने अपनी साक्ष्य में कुल 3 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें। प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं कर सिधी बहस की दौराने बहस दावा लाने का अधिकार नहीं एवं वादी को खातेदार घोषित नही करने हेतु तथा वाद खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादपत्र में अपने साक्ष्य में 03 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

जिससे वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, खारिज किया जाता है तथा 188 आंशिक स्वीकार किया जाता है।

Scanned by CamScanner

मुकदमा नम्बर 151 / 2006
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

—: आदेश :—

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89 का खारिज किया जाता है एवं 188 आर0टी0ए0 का आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण देवमूर्ति के चबूतरे पर यथास्थिति बनाये रखे कोई भी नया निर्माण नहीं करें तथा प्रतिवादीगण वादीगण को पूजा, अर्चना रात्री जागरण इत्यादि दैविक अनुष्ठान में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:17:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner